



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13092024-257149
CG-DL-E-13092024-257149

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3576]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 12, 2024/भाद्र 21, 1946

No. 3576]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 12, 2024/BHADRA 21, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2024

का.आ. 3909(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुरूपी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामतः-

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (1)	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड (2)	चैनेज (3)
रारा-146बी	संदलपुर से नसरुल्लाहगंज खंड (मध्य प्रदेश राज्य में)	कि.मी. 0.000 से कि.मी. 43.900
रारा-146बी	बुधनी से बडी खंड (मध्य प्रदेश राज्य में)	कि.मी. 87.550 से कि.मी. 150.700

[फा. सं. एनएच-14013/14/2024-पी ऐंड एम]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2024

S.O. 3909(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

TABLE

National Highways No.	Section of National Highways	Chainage
(1)	(2)	(3)
NH-146B	Sandalpur to Nasrullahganj Section (In the State of Madhya Pradesh)	Km. 0.000 to Km. 43.900
NH-146B	Budhni to Badi Section (In the State of Madhya Pradesh)	Km. 87.550 to Km. 150.700

[F. No. NH-14013/14/2024-P&M]

ABHAY JAIN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2024

का.आ. 3910(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 13 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"13.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 [कि.मी. 243.600 से कि.मी. 651.500 (रीवा से कटनी से मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 12 [कि.मी. 315.725 से कि.मी. 421.325 (भोपाल ब्यावरा खंड) और कि.मी. 66.000 से कि.मी. 130.424 (हिरन नदी से सिंदूर नदी खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 12ए [कि.मी. 89.600-कि.मी. 192.400 (मांडला - चिलपी खंड) और (दमोह - जबलपुर - बरेला खंड 122.800 कि.मी.) तक खंड को छोड़कर], सं. 26ए, सं. 27, सं. 59 [कि.मी. 9.500 से कि.मी. 171.000 (इंदौर - झाबुआ - म. प्र./गुजरात सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 69 (कि.मी. 0.60 से कि.मी. 8.300 और कि.मी. 8.400 से कि.मी. 20.700 (रातापानी खंड) तथा कि.मी. 20.700 से कि.मी. 256.400 तक खंड को छोड़कर), सं. 75 [(ग्वालियर-झांसी खंड के ग्वालियर बाइपास सहित ग्वालियर से म. प्र./ उ. प्र. सीमा के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 85.000 और कि.मी. 2.800 से कि.मी. 83.400 (रीवा -	मध्य प्रदेश राज्य सरकार"

सीधी खंड) और कि.मी. 6.500 से कि.मी. 12.000 और कि.मी. 24.000 से कि.मी. 33.390 और कि.मी. 40.225 से कि.मी. 41.350 और कि.मी. 43.240 से कि.मी. 44.432 और कि.मी. 82.100 से कि.मी. 108.000 (झांसी- नौगांव खंड) और कि.मी. 0.000 से कि.मी. 57.900 (बमिथा के पास) (नौगांव – सतना खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 76 [कि.मी. 0.000 से कि.मी. 30.000 (मध्य प्रदेश/राजस्थान सीमा से शिवपुरी) तक खंड को छोड़कर], सं. 78 [कि.मी. 0.00 से कि.मी. 69.100 (कटनी – उमरिया खंड) और कि.मी. 142.200 से कि.मी. 245.000 (शहडोल – अनूपपुर – म.प्र./छत्तीसगढ़ सीमा खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 86 [डिजाइन कि.मी. 3/8 से 81 (सागर से हीरापुर खंड) और कि.मी. 81.00 से कि.मी. 189/4.00 (हीरापुर – छतरपुर से म.प्र./उ.प्र. सीमा खंड तक) और कि.मी. 67 से कि.मी. 187 (सांची – सागर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 92, नई रारा सं. 339बी, नई रारा सं. 45वि., नई रारा सं. 56 [अंबुआ – दाहोद खंड (29 कि.मी.)], नई रारा सं. 135सी, नई रारा सं. 347ए, नई रारा सं. 347सी, नई रारा सं. 548सी, नई रारा सं. 552वि., नई रारा सं. 346 [कि.मी. 87 से कि.मी. 159 (धोलीखेड़ी – मेहुला चौराहा (कुरवई) खंड) तक खंड को छोड़कर], नई रारा सं. 752बी, नई रारा सं. 752सी, नई रारा सं. 752जी, नई रारा सं. 543, नई रारा सं. 146बी [कि.मी. 0.000 से कि.मी. 43.900 (संदलपुर से नसरुल्लाहगंज खंड) और कि.मी. 87.550 से कि.मी. 150.700 (बुधनी से बडी खंड) तक को छोड़कर], नई रारा सं. 347बी [कि.मी. 0 से कि.मी. 127 (खेड़ी-आशापुर खंड) तक खंड को छोड़कर], नई रारा सं. 43वि., नई रारा सं. 135बी और नई रारा सं. 943 के उतने भाग जो मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं।	
---	--

[फा. सं. एनएच-14013/14/2024-पी ऐंड एम]

अभय जैन, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का. आ. 1096 (अ), दिनांकित 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का. आ. 3463 (अ) दिनांकित 14 अगस्त, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2024

S.O. 3910(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 13 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
“13	So much of National Highways No. 7 [excluding from Km. 243.600 to Km. 651.500 (Rewa to Katni to Madhya Pradesh/Maharashtra Border)], No.12 [excluding from km 315.725 to Km. 421.325 (Bhopal Bioara Section) and from Km. 66.000 to Km. 130.424 (Hiran river to Sindoor river section)], No. 12A [excluding from Km. 89.600-Km-192.400 (Mandla-Chilpi Section) and (Damoh – Jabalpur - Barela Section 122.800 km.)], No. 26A, No. 27, No. 59 [excluding from km. 9.500 to km. 171.000 (Indore- Jhabua- MP/Gujarat Border)], No. 69 [excluding from km. 0.60 to km. 8.300 and from Km. 8.400 to km. 20.700 (Ratapani section) and from km. 20.700 to km. 256.400], No.75 [excluding from km. 0.000 to km. 85.000 of Gwalior to MP/UP Border including Gwalior bypass of Gwalior-Jhansi Section and from 2.800 to km. 83.400 (Rewa-Sidhi section) and from km. 6.500 to km. 12.000 and from km. 24.000 to 33.390 and from km. 40.225 to km. 41.350 and from km. 43.240 to km. 44.432 and from km. 82.100 to km.108.000 (Jhansi- Nowgaon Section) and from km. 0.000 to 57.900 (near Bamitha) (Nowgaon- Satna Section)], No. 76 [excluding from Km. 0.000 to Km.30.000 (Madhya Pradesh/Rajasthan Border to Shivpuri)], No. 78 [excluding from Km. 0.00 to km. 69.100 (Katni – Umria Section) and from km 142.200 to km 245.000 (Shahdol-Anuppur- MP/Chhatisgarh Border Section)], No.86 [excluding from design km. 3/8 to 81 (Sagar to Hirapur Section) and from km. 81.00 to km. 189/4.00 (HirapurChhatarpur upto MP/UP Border Section) and from km. 67 to km. 187 (Sanchi-Sagar Section)], No. 92, new NH No. 339B, new NH No. 45 extn., New NH No. 56 [Ambua- Dahod Section (29 Km.)], new NH No. 135C, new NH No. 347A, new NH No. 347C, new NH No. 548C, new NH No. 552 Extn., new NH No. 346 [excluding Km. 87 to Km. 159 (Dholikhedi-Mehula chouraha (kurwai) Section], new NH No. 752B new NH No. 752C, new NH No. 752G, new NH No. 543, New NH No. 146B [excluding from Km. 0.00 to Km. 43.900 (Sandalpur to Nasrullaganj Section) and from Km. 87.550 to Km. 150.700 (Budhni to Badi Section)], New NH no.347 B[excluding km 0 to km. 127(Khedi-Ashapur Section)] new NH No. 43 Extn., new NH No. 135B, and new NH No. 943 as are situated within the State of Madhya Pradesh	State Government of Madhya Pradesh.”.

[F. No. NH-14013/14/2024-P&M]

ABHAY JAIN, Director

Note: The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4thAugust, 2005 and was last amended vide number S.O. 3463(E), dated the 14th August, 2024.